

प्रेसनोट दिनांक 16.06.2022

1. दिनांक 15.06.22 को वादी श्री जगदम्बिका प्रसाद पुत्र स्व० कृष्णा प्रसाद नि० नील गोदाम थाना को०नगर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि रामगोपाल पुत्र स्व० कृष्णा यादव नि० नील गोदाम थाना को०नगर अयोध्या।आदि 02 नफर अभि०गण द्वारा वादी को गाली व जानमाल की धमकी देते हुए मारना पीटना। जिसके संबंध में थाना को०नगर में मु०अ०सं० 470/22 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 15.06.22 को वादी श्री विकास सिंह पुत्र छेदी सिंह नि० राजेपुर थाना महाराजगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि आशीष सिंह उर्फ सन्नी पुत्र बसन्त सिंह नि० राजेपुर थाना महाराजगंज अयोध्या आदि 05 नफर अभि०गण द्वारा वादी को गाली व जान माल की धमकी देते हुए हमलावर होना तथा मारना पीटना जिसके संबंध में थाना महाराजगंज में मु०अ०सं० 222/22 धारा 147, 323, 352, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 15.06.22 को वादी लेखपाल श्री प्रदीप कुमार तिवारी पुत्र राम दुलारे नि० कोटडीह थाना रौनाही अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राम निहाल पुत्र जुगई ग्राम प्रधान केशवपुर थाना महाराजगंज अयोध्या आदि 05 नफर अभि०गण द्वारा जलाशय की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करना, कब्जा हटाने पर बाधा उत्पन्न करना तथा हमलावर होना जिसके संबंध में थाना महाराजगंज में मु०अ०सं० 223/22 धारा 147, 352, 353 भादवि व 3 लो०स० क्षति नि० अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 15.06.22 को वादी श्री राम विजय पुत्र श्याम लाल नि० नयागंज थाना रौनाही अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वा०सं० यूपी 42बीटी 2433 का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए वादी के पुत्र को टक्कर मार कर घायल कर देना। जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु०अ०सं० 195/22 धारा 279, 337, 338 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 15.06.22 को वादी श्री अमित पुत्र गोविन्द नि० पिपरा दौलाकदम थाना मडुआडीह देवरिया द्वारा सूचना दिया गया कि वा०सं० यूपी 85एटी 3848 रोडवेज बस चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए वादी के पिता को टक्कर मार देना जिससे ईलाज के दौरान मृत्यु हो जाना। जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु०अ०सं० 196/22 धारा 279, 304ए भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
6. दिनांक 15.06.22 को वादी श्री शिवकुमार पाण्डेय पुत्र रामनेवाज नि० सररपुर थाना कुमारगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि ज्योति शंकर पुत्र अज्ञात नि० सररपुर थाना कुमारगंज अयोध्या आदि 10 नफर अभि०गण द्वारा वादी को जान से मारने की धमकी देते हुए मारना पीटना जिसके संबंध में थाना कुमारगंज में मु०अ०सं० 139/22 धारा 147, 323, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
7. दिनांक 15.06.22 को वादी का० मोहित कुमार थाना खण्डासा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि कुर्बान पुत्र पीर गुलाम नि० कन्दई कला थाना खण्डासा अयोध्या गिर० अभि० के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना खण्डासा में मु०अ०सं० 137/22 धारा 60(1) आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
8. दिनांक 15.06.22 को वादी उ०नि० श्री अरुण सिंह थाना पटरंगा अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि विनोद रावत पुत्र सूरज लाल नि० पाकड़पुर थाना पटरंगा अयोध्या गिर० अभि० के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना पटरंगा में मु०अ०सं० 110/22 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
9. दिनांक 15.06.22 को वादी श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र अमरनाथ नि० सिठौली थाना पटरंगा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राजेश यादव पुत्र मोहले नि० सिठौली थाना पटरंगा अयोध्या आदि 03 नफर अभि०गण

द्वारा वादी को गाली व जान माल की धमकी देते हुए मारना पीटना जिसके संबंध में थाना पटरंगा में मु0अ0सं0 112/22 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

10. दिनांक 15.06.22 को वादी उ0नि0 श्री हरिवंश यादव थाना पटरंगा अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि कमलेश रावत पुत्र हनुमान रावत नि0 मकदूमपुर थाना पटरंगा अयोध्या गिर0 अभि0 के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना पटरंगा में मु0अ0सं0 113/22 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

11. दिनांक 15.06.22 को वादी उ0नि0 श्री जितेन्द्र यादव थाना पटरंगा अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि श्रवण ढाबा मालिक नाम पता अज्ञात ढाबा मालिक द्वारा ढाबा के सामने गाड़ी रोकवाना, अतिक्रमण करना तथा राष्ट्रीय राजमार्ग क्षतिग्रस्त करना जिसके संबंध में थाना पटरंगा में मु0अ0सं0 114/22 धारा 283, 431 भादवि व 3 लो0स0 क्षति नि0 अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।